संख्या-16/2023/645/तेइस-7-2023/001-47सा-2021

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2023

विषय:- आर्बिट्रेशन वाद सं0-84/2004 मे0 सतीश चन्द्र शिवहरे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 आर्बीट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 17-04-2010, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ0ए0एफ0ओ0 सं0-782/2019 उ0प्र0 राज्य बनाम मे0 सतीश चन्द्र शिवहरे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-01-2021, विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-5301/2022 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम मे0 सतीश चन्द्र शिवहरे व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-04-2022 तथा निष्पादन वाद सं0-19/2011 में मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-03-2022 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1412बीजी/245बी(01)/2022-23, दिनांक 29-04-2022, 4470बीजी/209बी(05)/2022-23, दिनांक 21-07-2022, 182बीजी/245बी(01)/2022-23, दिनांक 25-08-2022 एवं पत्रांक- 7399 बीजी/209बी(05)/2022-23, दिनांक 09-11-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, आर्बिट्रेशन वाद सं0-84/2004 मे0 सतीश चन्द्र शिवहरे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 आर्बीट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 17-04-2010, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ0ए0एफ0ओ0 सं0-782/2019 में पारित आदेश दिनांक 27-01-2021, विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-5301/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-04-2022 तथा निष्पादन वाद सं0-19/2011 में मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-03-2022 के अनुपालन में धनराशि रू0 49,89,236.00 (रूपये उनचास लाख नवासी हजार दो सौ छत्तीस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 49,89,236.00 (रूपये उनचास लाख नवासी हजार दो सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान सं0-58 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य(भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-16/2023/645(1)/ तेइस-7-2023/001-47सा-2021- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आगरा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0–1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8- अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त लोक निर्माण विभाग, आगरा ।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।